



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में पुलिस पार्टी पर हमला कर गम्भीर चोट पहुंचाने के आरोपी 1-अर्जुन पूर्व प्रधान, 2-अनुज, 3-दिलबहार, 4- 01 महिला को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर प्रत्येक को हुआ 03 वर्ष का साधारण कारावास व 9,250 रुपये अर्थदण्ड की सजा-



अवगत कराना है कि वर्ष 2020 में अभियुक्तों 1-अर्जुन पूर्व प्रधान पुत्र गजे सिंह, 2-अनुज पुत्र इकबाल, 3-दिलबहार पुत्र हाजी कदम, 4- 01 महिला निवासीगण ग्राम निवाड़ा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा पुलिस पार्टी पर हमला कर गम्भीर चोट पहुंचाने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 881/2020 धारा 147/148/323/332/353/336/504/506 भादवि व 3(2)5(a) एससी/एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 30.06.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल एससी/एसटी कोर्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों 1-अर्जुन पूर्व प्रधान, 2-अनुज, 3-दिलबहार, 4- 01 महिला को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर प्रत्येक को 03 वर्ष का साधारण कारावास व 9250 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्री
इन्द्रपाल
एडीजीसी

हे0का0
धर्मवीर सिंह
कोर्ट पैरोकार

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police





BAGHPAT POLICE

थाना बिनौली साइबर टीम , जनपद बागपत

जून- 2026

थाना बिनौली साइबर टीम, जनपद बागपत के द्वारा माह जून-2026 में आवेदक/पीडित से ऑनलाइन धोखाधडी की धनराशि कुल -24,214/- रुपये वापस कराये गये-

आवेदक/पीडित श्री अताउल्ला पुत्र रमजानी निवासी ग्राम पिचौकरा थाना बिनौली जनपद बागपत के खाते से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन 24,214 रुपये की धोखाधडी कर ली थी, जिसके सम्बन्ध में आवेदक ने NCRP पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज करायी, जिसका ACK. NO- 33106260142072 है । शिकायत प्राप्त होने पर **थाना बिनौली साइबर टीम** द्वारा शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी । पीडित के बैंक खाते से ऑनलाइन धोखाधडी की सम्पूर्ण धनराशि 24,214 रुपयों को वापस कराया गया ।



आवेदक को रुपये वापस मिलने पर आवेदक/पीडित द्वारा थाना बिनौली पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

क्र०सं०	नाम थाना	प्रा०पत्र सं०	वापस करायी गयी धनराशि
1	बिनौली	33106260142072	24,214 रुपये

आवेदक/पीडित को रुपये वापस कराने वाली टीम:-

- 1-प्र०नि० श्री राकेश कुमार शर्मा थाना बिनौली ।
- 2-उ०नि० श्री पुलकित सिंह राहल थाना बिनौली ।
- 3-है०का० 801 सावन कुमार थाना बिनौली ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 30.06.2026

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 448/26

धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाये । यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

अब्दुल रहमान पुत्र मोहम्मद शद्दीक निवासी पट्टी चौधरान थाना बड़ौत जनपद ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बड़ौत ।
- 2-उ0नि0 श्री निकलेश रस्तोगी थाना बड़ौत ।
- 3-है0का0 564 जितेन्द्र सिंह थाना बड़ौत ।
- 4-है0का0 750 सुनील कुमार थाना बड़ौत ।
- 5-का0 982 नीरज कुमार थाना बड़ौत ।





प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 30.06.2026

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .12 बोर बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .12 बोर बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 447/26 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाये। यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

शंकर पुत्र ब्रजेश निवासी ग्राम नैथला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .12 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री आदित्य कुमार थाना बड़ौत ।
- 2-उ0नि0 श्री ओमपाल सिंह थाना बड़ौत ।
- 3-का0 463 पवन नागर थाना बड़ौत ।
- 4-रि0का0 507 दीपक कुमार थाना बड़ौत ।





प्रेस नोट
थाना बिनौली

दिनांक 30.06.2026

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 192/26 धारा 333/74/76/62/64 /115(2)/351(3) बीएनएस व 7/8 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के के आधार पर मु0अ0सं0 192/26 धारा 333/74/76/62/64/115(2)/



351(3) बीएनएस व 7/8 पोक्सो

एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सोहिल पुत्र अलीहसन निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व0उ0नि0 श्री नरेशचन्द यादव थाना बिनौली ।
- 2-है0का0 801 सावन कुमार थाना बिनौली ।
- 3-है0का0 588 राधेश्याम थाना बिनौली ।



प्रेस नोट

थाना चाँदीनगर

दिनाँक 30-06-2026

ऑपरेशन स्माइल के अन्तर्गत थाना चाँदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 59/26 धारा 137(2) बीएनएस से संबंधित अपहृता को सकुशल किया बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन स्माइल के अंतर्गत थाना चाँदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 59/26 धारा 137(2) बीएनएस से संबंधित अपहृता को सकुशल बरामद कर लिया गया है । बरामदगी के उपरांत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है । बागपत पुलिस द्वारा जनपद में गुमशुदा एवं अपहृत व्यक्तियों की तलाश एवं बरामदगी हेतु अभियान निरंतर चलाया जा रहा है ।



बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अनूप कुमार थाना चाँदीनगर ।
- 2-का0 809 शिवकुमार थाना चाँदीनगर ।
- 2-रि0म0का0 689 अनुष्का ग्रेवाल थाना चाँदीनगर ।



प्रेस नोट
थाना खेकडा दिनांक 30.06.2026

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है ।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 218/26 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सूहैल उर्फ काला पुत्र यामीन निवासी करबा रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण:-

- एक अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री सुजीत कुमार थाना खेकड़ा ।
- 2-का0 724 कुशलपाल थाना खेकड़ा ।
- 3-रि0का0 149 मनेन्द्र प्रताप सिंह थाना खेकड़ा ।



प्रेस नोट

थाना खेकड़ा

दिनांक 30.06.2026

थाना खेकड़ा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से शाहदरा दिल्ली से चोरी की गई एक मोटरसाईकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस नं0 UP-15EH-0272 व 01 अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से शाहदरा दिल्ली से चोरी की गई एक मोटरसाईकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस नं0 UP-15EH-0272 व 01 अवैध चाकू बरामद हुआ है ।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 217/26

धारा 317(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

बादल पुत्र जगरोशन निवासी ग्राम कासिमपुर खेड़ी थाना रमाला जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण

- शाहदरा दिल्ली से चोरी की गई एक मोटरसाईकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस नं० UP-15EH-0272
- 01 अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री अमित कुमार चौहान थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-उ०नि० श्री सुरेन्द्र सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 3-है०का० 392 उमेश भाटी थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 5-रि०का० 544 कृष्ण कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 6-हो०गा० 659 पंकज थाना खेकडा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 30.06.2026

थाना बिनौली पुलिस ने व्हाट्सएप पर ऑनलाइन सट्टे की खाई बाडी करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 सट्टा पर्चा, एक पेन व 640 रूपये नगद बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टा खेलने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान व्हाट्सएप पर ऑनलाइन जुआ की खाई बाडी करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 सट्टा पर्चा , एक पैस व 640 रूपये नगद बरामद हुए हैं ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

वकील पुत्र याद मोहम्मद उर्फ छोटा निवासी ग्राम दरकावदा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 सट्टा पर्चा , एक पैस व 640 रूपये नगद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री नीलकान्त सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-है०का० 588 राधेश्याम थाना बिनौली जनपद बागपत ।

3-का० 1115 राहुल तिवारी थाना बिनौली जनपद बागपत ।